जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 14-11-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

दुष्कर्म की घटना कारित करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 415/20 धारा 377 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता गुलाब पुत्र स्व0 भीखू निवासी मिश्रौलिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.11.2020 वादिनी के पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर दिनांक 13.11.2020 को अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 14.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत ब्रमहाचारी से इवेन्ट संख्या 07354 से कालर ने दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 09 मिनट में घटना स्थल पर पहुंकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सीएचसी मेंहदावल पहुँचाया गया तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेंहदावल भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी प्रभुनाथ राय, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 269 वाहनो से 251500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14-11 -2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 269 वाहनो से 251500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।